1079
10

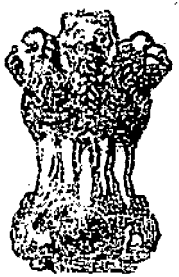

सत्यमेव जयते

खंड ८ संख्या १८

बिहार विधान सभा वादवृत्त

सरकारी रिपोर्ट

बृहस्पतिवार, तिथि ६ अक्टूबर, १९५५

Vol. VIII No. 18

The Bihar Legislative Assembly Debates

Official Report

Thursday, the 6th October, 1955.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार.
पटना, द्वारा मुद्रित,
१९५६ ।

[मूल्य—६ आना ।]
[*Price—Annas 6.*]

बिहार पंचायत राज (अमेंडमेंट) बिल, १९५५ (१९५५ की वि० सं० ४१) ।

THE BIHAR PANCHAYAT RAJ (AMENDMENT) BILL, 1955 (BILL NO. 41 OF 1955.)

श्री भोला पासवान—मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

बिहार ग्राम पंचायत राज (अमेंडमेंट) बिल, १९५५ को पुरः स्थापित करन की अनुमति दी जाय ।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

बिहार ग्राम पंचायत राज (अमेंडमेंट) बिल, १९५५ को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री भोला पासवान—मैं उपरोक्त विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष—विधेयक पुरःस्थापित हुआ ।

बिहार टेनेंसी (अमेंडमेंट) बिल १९५४ (१९५४ की वि० सं० ४१) ।

THE BIHAR TENANCY (AMENDMENT) BILL, 1954. (BILL NO. 41 OF 1954)

*Shri MUNDRIKA SINGH : Sir, I beg to move :

That for sub-section (3) of the proposed section 48-E of the Act, the following sub-section be substitute l, namely :—

"(3) A Board of Consiliation (hereinafter referred to as 'Board') shall consist of :—

(*a*) Chairman, who shall be any person agreed to by the landlord and the under-*raiyat*, and

(*b*) two members one of whom shall be nominated by the under-*raiyat* and the other by the landlord within the time allowed by the Chairman."

अध्यक्ष महोदय, मल बिल में कंसीलियेशन का प्रोविजन नहीं था किन्तु प्रवर समिति ने यह जरुरी समझा कि इसके पहले जिलाधीश अपनी ओर से जो कार्य करें अगर रैयत और अंडर-रैयत आपस में कोई एक पंचायत बनावें और आपसी झगड़े को तय कर ल तो ज्यादा अच्छा होगा। दोनों में अच्छा संबंध रहेगा । इसलिये झगड़े के दायरे से बाहर रहकर अगर आपस में समझौते से झगड़ा तय हो जाय तो अच्छा होगा । इसी विचार से प्रवर समिति ने एक कंसीलियेशन का प्रोविजन इसमें जोड़ा लेकिन जिस तरह से कंसीलियेशन के मशीनरी के निर्माण करने की व्यवस्था की गई है उससे कंसीलियेशन का जो उद्देश्य है वह खतम हो जायगा कारण कि एक तरफ तो हम कंसीलियेशन का प्रोविजन रखते हैं जिसमें दोनों दल मिलकर पंचायत बनावें जिस पंचायत के

जरिये अगर झगड़ा तय हो जाय तो जिलाधीश को उसमें पड़ने की कोई जरूरत नहीं है और दूसरी तरफ निश्चयात्मक रूप से एक ऐसे व्यक्ति का नाम रखते हैं जैसे सरपंच। अगर कोई दल राजी नहीं होता है या भाग नहीं लेता है तो कंसिलियेशन आगे नहीं बढ़ेगा और इस तरह कंसिलियेशन के उद्देश्य का हनन हो जाता है।

इस तरह ऐसा करते हैं कि अगर सरपंच को चेयरमैन मानने में दोनों में किसी फरीक को आपत्ति हो तो कंसिलियेशन का काम आगे बढ़ेगा ही नहीं लेकिन कंसिलियेशन अगर सचमुच ही एक अच्छी चीज है, और इसीलिए प्रवर समिति ने कंसिलियेशन के विचार को इस कानून के दायरे में रखा है, तो अच्छा यही होगा कि सही मानी में कंसिलियेशन की चेष्टा की जाय और ऐसी चेष्टा करने के लिए यह सही है कि दोनों फरीक किसी एक व्यक्ति-विशेष के संबंध में अगर अपनी रजामंदी दें तो उसी को बोर्ड का चेयरमैन होना चाहिए। अगर सरपंच में उनमें से किसी का विश्वास नहीं हो तो कंसिलियेशन की बात आगे बढ़ेगी ही नहीं। तो ऐसा अगर नहीं करते हैं तो एक तरफ चेष्टा करते हैं कानून में कि कंसिलियेशन हो और दूसरी तरफ कंसिलियेशन की चेष्टा को इतनी सीमित और संकुचित रख देते हैं जिससे कंसिलियेशन की चेष्टा विफल होगी। जो संशोधन मैंने पेश किया है उसका मानी यह है कि सरपंच, पंच या इर्दगिर्द का कोई व्यक्ति-विशेष जिसके लिए दोनों फरीक अपनी सम्मति दें कंसिलियेशन बोर्ड का चेयरमैन होगा। इससे इस कानून के उद्देश्य की पूर्त्ति होगी और मैं राजस्व मंत्री से कहूंगा कि सचमुच कंसिलियेशन अगर आप जरूरी समझते हैं तो इसकी सीमा जैसा मैंने अभी कहा इतनी संकुचित और सीमित न करें। अगर इस तरह आप रखेंगे तो कंसिलियेशन बोर्ड बनने के पहले ही खतम हो जायगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आप कंसिलियेशन की सीमा को विस्तृत और व्यापक करें जिसमें दोनों फरीक को इसकी सुविधा हो कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह सरपंच हो, पंच हो या गांव का या आस पास का कोई विशेष-व्यक्ति हो जिसमें दोनों को विश्वास हो, चेयरमैन बनाने और आपसी झगड़े का निबटारा हो जाय।

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—मेरे दोस्त श्री मुद्रिका सिंह ने कहा कि मैं गौर करूं और

इस संशोधन को मान लूं तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे इस संशोधन को वापस ले लें। इसकी वजह यह है कि यदि उनके संशोधन को मान लिया जाय तो कंसिलियेशन का काम मेरे ख्याल से होगा ही नहीं। उन्होंने कहा :

"Chairman, who shall be any person agreed to by the landlord and the under-*raiyat*";

इसका मतलब यह है कि रैयत और लैंडलार्ड यानी रैयत और अंडर-रैयत राजी हों तो वह चेयरमैन होगा। मेरा खयाल है कि इस मामले में अगर इतनी सद्भावना रैयत और अंडर-रैयत में रहती तो यह विधान सभा के सामने आता ही नहीं।

दूसरी दिक्कत यह है कि चूंकि दो ही महीने के अंदर कंसिलियेशन का काम खतम करना चाहते हैं इसलिए ऐसी नन-एजेंसी खोजते हैं जिससे यह काम हो सके और वह नन-एजेंसी है सरपंच। अगर हम बाहर का आदमी रखते हैं तो किससे कहेंगे कि रैयत और अंडर-रैयत को मिलाओ क्योंकि सरपंच ही सूचना वगैरह भेजेगा जब हम ऐकशन लेते हैं। फर्ज कर लीजिए सूचना दी गई रैयत और अंडर-रैयत को और रैयत गैरहाजिर है तो नतीजा यह होगा कि कंसिलियेशन का काम नहीं होगा।

अध्यक्ष—और जबतक चेयरमैन अपौइंट नहीं होगा कार्रवाई नहीं शुरू होगी।

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—जी हां। तो मैं कहूंगा कि जिन शब्दों को कंसिलियेशन के लिए सरकार ने इस कानून में रखा है वही वीजीबुल है और मैं श्री मुद्रिका सिंह से ही निवेदन करूंगा कि हमारी बात को मानलें और इस संशोधन को वापस करलें।

श्री मुद्रिका सिंह—जैसा कि राजस्व मंत्री ने कहा कि कंसिलियेशन बोर्ड कंपल्सरी तो है नहीं; जबतक दोनों में से कोई भी, रैयत या अंडर-रैयत, अपनी रजामंदी हाजिर करने से इंकार करेगा तबतक बोर्ड की कारंवाई होगी ही नहीं। उदाहरण के लिए सरपंच बोर्ड का चेयरमैन होगा लेकिन दोनों में किसी को उनमें विश्वास नहीं होगा। तो वह अपना प्रतिनिधि नहीं देगा और तब बोर्ड खतम हो जायेगा। राजस्व मंत्री कहते हैं कि मेरा संशोधन मानलेने से कभी कंसिलियेशन होगा ही नहीं लेकिन मैं समझता हूं कि जो क्लाज अभी है उसके जरिए कभी कंसिलियेशन नहीं हो सकता है क्योंकि बोर्ड के बनने की बहुत कम उम्मीद रहती है। लेकिन मेरा जो संशोधन है उसके अंदर अगर सरपंच को नहीं माना जायगा तो किसी भी और व्यक्ति-विशेष को जिसमें दोनों का विश्वास हो चेयरमैन बनाया जा सकता है और बोर्ड बन सकता है। जो तर्क राजस्व मंत्री ने दिया है वह तो मेरे ही संशोधन के पक्ष में है। सरपंच में विश्वास नहीं होगा तो कोई भी अपना प्रतिनिधि नहीं देगा और आगे कंसिलियेशन बोर्ड की बैठक नहीं होगी और कंसिलियेशन होगा ही नहीं। मैं तो कहता हूं अगर सरपंच में विश्वास नहीं है तो ठीक है किसी तीसरे व्यक्ति को जिसमें दोनों का विश्वास हो चेयरमैन बनाकर कंसिलियेशन का काम हो। तो हम कंसिलियेशन का दरवाजा खोल देते हैं, उसका स्कोप व्यापक कर देते हैं, लेकिन राजस्व मंत्री तो कंसिलियेशन बोर्ड को बनने के पहले ही उसको खतम कर देते हैं इसलिए जो तर्क उन्होंने दिया है वह मेरे संशोधन के पक्ष में जाता है। इसलिए मैं विवश हूं कि अपना संशोधन वापस नहीं ले सकता।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है :

That for sub-section (3) of the proposed section 48-E of the Act, the following sub-section b sub t tnte , namely :

"(3) A Board of Conciliation (hereinafter refcrred to as 'Board') shall consist of :—

(*a*) Chairman, who shall be any person agreed to by the landlord and the under-*raiyat*, and

(*b*) two members, one of who shall be nominated by the under *ra yat* and the other by the landlord within the time allowed by the Chairman."

The motion was negatived.

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४, प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ४ इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित इस विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ५ इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित इस विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ६ इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७ प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित इस विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ७ इस विधेयक का अंग बना ।

Shri KRISHNA BALLABH SAHAY : Sir, I beg to move :

That after clause 7 of the Bill, the following new clause shall be *inserted* and the subsequent clauses renumbered accordingly :—

"*Amendment of section* 181 *of Act VIII of* 1885.—To section 181 of the said Act, the following Explanation shall be *added*, namely :—

Explanation—The expression 'service tenure' includes the grant of land, free of rent, by a *raiyat* to any person to cultivate himself in lieu of wages or service."

अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में बातें बहुत हो चुकी हैं । इस तरह का संबंध रैयत के साथ रहता ही है । लेकिन हमारे कुछ दोस्तों को शक रह गया है इसलिए पूर्ण विवरण दे दिया गया है ताकि सेक्शन १८१ के इंटरप्रिटेशन करने में कोई भ्रम न पैदा हो । मेरा मंशा है कि कानून का काफी स्पष्टीकरण कर दिया जाय और इसलिये इस संशोधन को लाना आवश्यक हुआ है । संशोधन के बिना भी ऐज इट स्टैन्डस काम चल जाता है । मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस संशोधन को रखता हूं ताकि शक बाकी न रह जाय ।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

After clause 7 of the Bill, the following new clause shall be *inserted* and the subsequent clauses renumbered accordingly :—

"*Amendment of section* 181 *of Act VIII of* 1885.—To section 181 of the said Act, the following "Explanation" shall be *added*, namely :—

'*Explanation*'—The expression 'service tenure' includes the grant of land, free of rent, by a *raiyat* to any person to cultivate himself in lieu of wages or service."

यह संशोधन स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

खंड ८ (पुनरंकित ९) प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित इस विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ९ इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष—खंड ९ (पुनरंकित १०) ।

Shri NAND KISHORE NARAYAN : Sir, I beg to move :

That in Schedule II to the said Act—

In the form of receipt a new item be inserted, namely :—

(5) Rent in respect of —

(*a*) Khata no., (*b*) Plot no. (*c*) By whom paid.

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि सरकार अगर देहात के लोगों की वास्तविक स्थिति से वाकिफ रखती है तो उन बातों पर गौर करे फिर इस संशोधन को मान लेने में दिक्कत नहीं होगी । आज जो रसीद लोगों को दी जाती है उसमें खाता और खसरा नम्बर इत्यादि नहीं लिखा रहता है । एक जमाबंदी में कई खाता रहते हैं और कहीं-कहीं एक-एक खाता में २०-२० खेसरा नंबर याने प्लौट नंबर रहते हैं और एक खाते की जमीन कई आसामी के कब्जे में रहती है जिसे अलग-अलग लगान एक ही एक के नाम में रहती है तो कोई भी लगान दे, जमाबंदी एक के नाम में रहने पर जमाबन्दी के जमीन में अपने-अपने खाता का देना पड़ता है, पर यदि रसीद देने वाले के नाम अलग-अलग नहीं मिलती है ।

अध्यक्ष महोदय, एक जमाबंदी में २० प्लौट नम्बर है उसमें कितना राम के पास है, कितना श्याम के पास है, कितना मोहन के पास है अगर यह सब डिटेल नहीं रहा और एक आदमी ने अगर रेंट नहीं दिया तो कोर्ट में नालिश होने पर जब तक समूचा रुपया नहीं जमा कर देते हैं तब तक किसी एक का रुपया जमा नहीं होता है । अगर समूचा रुपया हमने दे दिया तो भी हम बरी नहीं कर दिए जाते हैं । एक रैयत के पास बकाया हो और दूसरे के पास बकाया न हो तो कैसे मालूम होगा कि किसने दिया । इसलिए मारफती का कौलम रसीद में देना जरूरी है लेकिन सरकार का जो रसीद फौर्म है उसमें मारफती नहीं दिया हुआ है । मैं नहीं समझता हूं कि सरकार को इसके मान लेने में क्या दिक्कत है । डिटेल देने से मालूम हो जायगा कि कौन प्लौट किसके हक में है । सरकार को इस बात का पता लगाने में भी दिक्कत नहीं होगी कि किस जमा में किस रैयत ने दिया । डिटेल देने से सारी बातें मालूम हो जायंगी । अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि आज उनके यहां म्युटेशन नहीं होता है । एक-एक सर्किल में दो हजार म्युटेशन के केसेज पड़े हुए हैं । अब तो सरकार ने १० वर्ष तक छूट दे दी है । अब तो इस संबंध में कोई काम भी इनके कर्मचारी नहीं करेंगे और कोई काम नहीं होगा जब तक सर्टिफिकेट में केस न चला जाय । मान लीजिए कि हम मर गए और अगर हमारे चार लड़के हैं जब तक उनका नाम नहीं चढ़ेगा रेंट कैसे देंगे । और कोई रेंट देगा तो अलग-अलग मारफती में उसका नाम नहीं रहेगा तो क्या सबूत रहेगा उनका । उनका नाम तभी चढ़ेगा जब सार्टिफिकेट हो जायगा ।

अध्यक्ष महोदय, मेरे साथ ऐसी ही बात हुई है। मैंने ३ वर्षों का रेंट मनिआर्डर से भेजा लेकिन वापस आया चूंकि वह मेरे पिताजी के नाम में स्टैंड करता है और मेरा नाम अपने हक पर नहीं चढ़ता है। अगर प्लौट अलग-अलग हो जाय तो सरकार को दिक्कत नहीं होगी। अगर सरकार इसमें दिक्कत बतावे तो मैं इस संबंध में डिटेल में बता सकता हूं। इन सब बातों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इस संशोधन को मान ले।

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के बारे में मुझे यह कहना है कि इस संशोधन की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इसलिए नहीं है कि बी० टी० ऐक्ट में जो रूल-मेकिंग पावर है उसमें बोर्ड आफ रेवेन्यु को अख्तियार दिया गया है कि नियम के जरिए दुरुस्त कर दे। मैं नन्द किशोर बाबू को यह कहना चाहता हूं कि जो सुझाव मैंने दिया है उस पर गौर करेंगे और मैं समझता हूं कि उनके सुझाव को नियम बनाने के समय मान लिया जायगा लेकिन मैं समझता हूं कि कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए मैं सरकार की ओर से कहता हूं कि मैं इसे जांच करूंगा और जरूरत समझने पर नियम में व्यवस्था कर दूंगा या आदेश दे दूंगा।

श्री नन्द किशोर नारायण—अध्यक्ष महोदय, शिडियुल को आप देखें। उसमें लिखा हुआ है कि पार्टीकुलर्स आफ दी होल्डिंग्स। मैं नहीं समझता हूं कि शिड्यिुल में जो जिक्र है उसमें क्यों नहीं परिवर्तन लाना चाहते हैं। अगर सरकार समझती है जैसा कि अभी माननीय राजस्व मंत्री ने कहा है कि वे विचार करेंगे तो यह केवल सचिवालय के पदाधिकारी से जिनको कुछ भी अनुभव नहीं है, नहीं राय लें बल्कि जिला पदाधिकारी से राय लें कि रिसीट लेने में क्या दिक्कत होती है, सार्टिफिकेट केस में क्या दिक्कत होती है? उनकी राय अगर मंगा लें तो उनको मालूम हो जायगा कि कितनी दिक्कतें हैं। माननीय राजस्व मंत्री के आश्वासन पर मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—कानून में हक दिया हुआ है। सेक्शन ५६ आफ दी बी० टी० ऐक्ट में दिया हुआ है :

"Provided that the Board of Revenue may, from time to time, prescribe or sanction a modified list for general or particular local areas or class of cases."

बोर्ड आफ रेवेन्यु को जो रूल-मेकिंग पावर है उसमें यह विचार करने की बात है।

(सभा की अनुमति से प्रस्ताव वापस हुआ।)

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित खंड ९ (पुनरंकित खंड १०) इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १० इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

खंड १० (पुनरंकित खंड ११), प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित, इस विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ११ इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

खंड १ प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित इस विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १ इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

प्रस्तावना प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित इस विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

नाम प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित इस विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधयक का अंग बना ।

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार टेनेंसी (अमेंडमेंट) बिल, १९५४ इस सभा द्वारा यथा संशोधित स्वीकृत हो ।

---

*श्री रामनारायण चौधरी—अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री द्वारा सदन में उपस्थित किए गए स्वीकृति क प्रस्ताव का सहष और सतोत्साह समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं । अध्यक्ष महोदय, बात यह है कि इस बिल के लेट प्रेजेंटेशन की वजह से इस बिल का जो सौंदर्य था वह खतम कर दिया गया much of the virtues and beauties of this Bill have been affected by late presentation of the Bill in the House by the Hon'ble the Revenue Minister.

अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि जब यह बिल एक्ट बन जायगा और जब इसे कानून का रूप दिया जायगा तो दो-एक वर्ष के बाद इस बिल का फल बटाईदार चखेंगे । इस अवसर पर मुझे अकबर का एक शेर याद आया जो इस प्रकार है :

"मेहरबानी करके गोदाम की कुंजी तो दी,
सब तो गेहूं खा गये बाकी फकत घुन क्या करें"।।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि हमारे सदन के एक विद्वान और योग्य दोस्त, पंडित विनोदानन्द झा ने इस बात को कबूल किया है और उदारता के साथ कबूल किया है कि इस बिल को सदन में किस रूप में उपस्थित किया गया है इसके लिए विरोधी दल के लोगों का श्रेय है और इसमें उनका असर है, इसलिए मैं उन्हें बधाई देता हूं यह कहते हुए कि इसका श्रेय विरोधी दल को भी है। उन्होंने कहा कि साथ-साथ विरोधी दल के लोगों को कुछ घबड़ाहट भी है। मैं मानता हूं कि घबड़ाहट हमलोगों को है और उन्होंने ठीक भांपा है। लेकिन मैं पूछता कि उनके शब्दों में विरोधी दल का बच्चा अगर ट्रेजरी बेंच से खेलता है तो उन्हें इसपर घबड़ाहट क्यों होती है। मुझे इस अवसर पर एक कहानी याद आ गयी कि एक शिशु के लिए दो माताओं में झगड़ा हुआ। दोनों का कहना था कि यह मेरा बच्चा है। यह मामला फैसले के लिए काजी तक पहुंचा। पहले तो काजी जी फेर में पड़े कि इसका निर्णय किस तरह करें, लेकिन बाद में उन्होंने आखिर यह फैसला किया और कहा कि ठीक है, अगर यह बच्चा तुम दोनों का है तो मैं इसे आधा-आधा करके बांट देता हूं, बोलो तुम्हें मंजूर है? इसपर एक मां ने कहा कि बांट दीजिए, लेकिन बच्चे की जो असली मां थी उसने कहा कि नहीं हमें यह मंजूर नहीं है, इसे आप उन्हें दे दें। अध्यक्ष महोदय, जैसे इस बच्चे के लिए फौल्स क्लेम था उसी ढंग से यहां भी बात हुई। (हंसी) आप जानते हैं कि जो समाज का नक्शा है, क्रान्ति का जो चित्र है इस लिहाज से इस बच्चे के ट्रेजरी बेंच से खेलने में डर लगता है कि कहीं यह बर्बाद न हो जाय, उनकी आदतों का कुछ असर न पड़ जाय और साथ-साथ मुझे यह मोह होता है कि डायन का जादू टोना कहीं न लग जाय।

सरदार जी एक तेजस्वी व्यक्ति हैं। लैंड रिफार्म्स के बारे में उनकी मान्यताएं हैं। उनके विचारों की श्रृंखला है और वे जब टूटती हैं तब वे परशुराम की तरह अपनी तीर विरोधी दल की ओर चलाते हैं। वे अपनी दलील देते समय अपने ही गीत गा रहे थे। उनकी बातों को सुनकर मुझे एक कविता याद आ जाती है :

"अपने मुख तु आपन करनी, भांति अनेक बार बहु करनि।
नहीं संतोष तो पुनि कछू कहहु, जनि रिष रोकि दुखद दुख सहहु ।।

मैं उनको एक ही शब्द में यह कहना चाहता हूं कि :

"सूर समर करनि करहिं, कहि न जनावहिं आपु।"

इस सदन के भीतर और बाहर भी प्रदर्शनों द्वारा, सभाओं द्वारा हमलोगों ने अपनी पूरी शक्ति लगायी है बटाईदारी के आंदोलन में। इसके कारण हमारे बहुत से साथी जेल भी गये हैं और कितने कचहरियों में चक्कर काटते रहे हैं। कितनों ने जमींदारों द्वारा मार भी खायी है। इस सदन में जितने कंस्टीच्युशनल मीन्स से सबके द्वारा हमलोगों ने इस बात के लिये कोशिश की है और तब काफी अड़चनों और उलझनों के बाद हमारे राजस्व मंत्री इस बिल को सदन में लाये हैं। परिस्थितियों ने उन्हें मजबूर किया कि वे इस तरह का बिल यहां लावें। विरोधी दल की ताकत ने उन्हें ऐसा करने के लिये मजबूर किया।

श्री दारोगा प्रसाद राय—इस भाषण से इस बिल को क्या सरोकार है?

श्री रामनारायण चौधरी—माननीय सदस्य को समझने में कठिनाई होती है।

(अन्तराल।)